

13.9.21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश होगी। वकील वादी उपरो। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी का सही नाम नरेश कुमार पुत्र फूलाराम है। परन्तु वादग्रस्त भूमिगणों के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादी का बोलता नाम नाथूराम पुत्र फूलाराम दर्ज हो गया। जबकि वादी का समस्त दस्तावेजात में की सही नाम नरेश कुमार पुत्र फूलाराम है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम नाथूराम पुत्र फूलाराम के स्थान पर नरेश कुमार पुत्र फूलाराम दुरुस्त किया जावे। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भागाशाह कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड व बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र, गवाह राजेन्द्र पुत्र फूलाराम, जगदीश पुत्र भूराराम के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नाथूराम पुत्र फूलाराम अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम नरेश कुमार पुत्र फूलाराम है की पुष्टि में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भागाशाह कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड व बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये स्वयं के शपथ पत्र, गवाह सहखातेदार बनवारी पुत्र मादाराम, उमराव पुत्र के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।



(बृजेश कुमार)  
उपस्थान अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण 1:5 क्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाडी स्थित भूमि खसरा सं० 985 रकबा 0.63 हैक्टे० में दर्ज खातेदार नाथूराम पुत्र फूलाराम के स्थान पर नरेश कुमार पुत्र फूलाराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हा।

